

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2982/2024


दिनांक 04.09.2024

श्रीमती तारा अग्रवाल (RJ00178), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को दिनांक 20.08.2024 से 22.08.2024 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती अग्रवाल की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/17/2013/ 6985

दिनांक : 04.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 60 दिनांक 23.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती तारा अग्रवाल (RJ00178) विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा।


03/9/2024

सहायक रजिस्ट्रार